दिनांक 20—9—19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन आवश्यकरूप से प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थना पत्र डिफाल्ट में खारिज कर दिया जावेगा । पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14—10—2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 14—10—2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बाद आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 26—7—18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किन्तु बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

ओदश सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)